न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्या– 645/2019

राज्य–––––––––––––बनाम–––––––––––निजाम।

<u>आरोप</u>

मै नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा जिला बुलन्दशहर आप निजाम पर निम्न आरोप लगाता हूँः–

यह कि दिनांक 21.08.2019 समय 11:10 बजे स्थान थाना परिसर खुर्जा अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुरजा नगर जिला बुलन्दशहर में पुलिस द्वारा आपकी जामा तलाशी से पहनी जीन्स की दाहिनी फेंट से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर चालू हालत में व जीन्स की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर अवैध बरामद किये गये, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसैंस नही था। इस प्रकार आप ने वह अपराध कारित किया जो **धारा 25 आयुध अधिनियम** के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 01.01.2020 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुरजा(बुलन्दशहर)

आरोप पढकर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 01.01.2020 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुरजा(बुलन्दशहर)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्या– 645/2019

राज्य————————————बनाम——————————निजाम।

अपराध संख्या : 547 सन् 2019

धारा : 25 आयुध अधिनियम

थाना : खुरजा नगर जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्त पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त निजाम पर जुर्म अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांक: 01.01.2020